

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 07.2013

क्रमांक एफ 11-28/2013/बी-ग्यारह, मेसर्स पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पॉवर लि. का लगभग रू 45 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से ग्राम संखनी, तहसील-भितरवार जिला-ग्वालियर में एकीकृत शुगर मिल तथा केप्टिव पॉवर प्लांट स्थापना के प्रस्ताव के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि-परियोजना को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावें:-

- (1) मण्डी टेक्स से छूट :- गन्ना को मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की अनुसूची से शीघ्र विलोपित किये जाने की कार्यवाही की जावे तत्पश्चात् मण्डी टेक्स से छूट प्रदान की जावेगी।
- (2) भूमि आवंटन :- परियोजना को वांछित भूमि का आवंटन राजस्व विभाग एवं वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के प्रचलित नियमों के अंतर्गत किया जावेगी।
- (3) विद्युत शुल्क एवं उपकर से छूट :- परियोजनांतर्गत बायोमास आधारित केप्टिव पॉवर प्लान्ट को मध्यप्रदेश बायोमास आधारित विद्युत परियोजना नीति, 2011 अनुसार 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क एवं उपकर में छूट दी जावे।
- (4) प्रवेश कर से छूट - प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 5 वर्षों हेतु।
- (5) कम्पनी की अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस. सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक 07-07-2013

क्रमांक एफ 11-28/2013/बी-ग्यारह,
प्रतिलिपि,

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/
वाणिज्यिक कर विभाग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विकास
विभाग/राजस्व विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने
सम्बंधी अनुबंध म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के साथ निष्पादित
करना होगा।

5. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर।
6. कलेक्टर, ग्वालियर।
7. प्रबंध संचालक, आईआईडीसी, (ग्वालियर) लि. ग्वालियर।
8. अपर संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, ग्वालियर।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ग्वालियर।
10. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पॉवर लि., पी-105-106, मेट्रो टॉवर, ए.बी. रोड, इंदौर 452010। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के साथ निष्पादित करना होगा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग